अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला–..........राँची.................., वाद संख्या–......20........................सन्–........2020–21.......... ।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।

अर्जीकार–.मंगल सिंह मुण्डा बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डु वगैरह

आदेश की क्रमं सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
19-09-2020	**आदेश** अपीलार्थी–मंगल सिंह मुण्डा, पिता–स्व० ईश्वर दास मुण्डा, सा०–गभड़ेया, पो०–नवाडीह, थाना–बुण्डू, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–239 R 27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–12/04/2018 को पारित आदेश के विरूद्धं अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। भूमि का विवरण मौजा: भुरकुण्डा; थाना: बुण्डू; थाना सं०: 73; खाता सं०: 23; खेंसरा सं०: 347; रकवा: 30 डिसमील चौहदी:– उ०–प्लॉट नं०–347 का अंश, द०–प्लॉट नं०–347 का अंश, पू०–प्लॉट नं०–347 का अंश, प०–प्लॉट नं०–347 का अंश। अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में कहते हैं कि–उपरोक्त वर्णित भूमि को अपीलार्थी ने दिनांक–27/12/2017 को निबंधित डीड संख्या–512/498 के माध्यम से गोविन्द उराँव पिता–स्व० मोगो उराँव से नियमानुसार खरीदा है, एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है। उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज का आवेदन करते समय आवेदन में गलती से खाता नं०–23 के जगह 30 दर्ज हो गया था, जिसे अब सुधार कर आवेदन किया जाएगा। इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डु को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांरण मुकदमा सं०–239 R 27/2017-2018/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना का प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। राजस्व कर्मचारी मंतव्यानुसार नामांतरण हेतु आवेदित खाता निबंधित पट्टा में दर्ज खाता के अनुसार भिन्न है। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा उक्त नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल अधिकारी, बुण्डू को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

9/9/09 (हस्ताक्षर)	8/9/09 (हस्ताक्षर)
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।